हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 141/2017 अनवान नानगाराम बनाम मगाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र गरल पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 02.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र गरल पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
02.05.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र गरल पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 41, 42, 39, 44, 43, 38, 40, 46, 45, 362, 308 कुल रकबा 499.18 बीघा के आये हुए है, जिसमे सेटलमेन्ट के समय से 03 हिस्सों पर काबिज होना अंकित किया है। सेटलमेन्ट की भूल से हिस्से अंकित नही होने सेखातेदारों के मध्य काश्त व कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखते तथा वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का बेचान नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त भूमि अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर समान रूप से कब्जा काश्त होता हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का कोई न्यायसंगत कारण प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत	

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

PTO

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 141/2017 अनवान नानगाराम बनाम मगाराम
	अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विधि सम्मत एवं तर्क संगत नही होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner